राजस्थान का जलियाँवाला – ''नीमूचणा काण्ड'' (कृषक आंदोलन)

***डॉ. सुप्रिया चौधरी**

13 अप्रेल 1919 को घटित 'जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड'–इतिहास का एक ऐसा मंजर जिसे कोई पत्थर दिल इन्सान भी याद कर सिहर उठता है। यह दिन किसी भी भारतीय के लिए एक न भूलने वाला दिन है। इसी तरह का एक और काण्ड जिसे महात्मा गांधी ने उक्त काण्ड से भी अधिक हृदय विदारक कहा था'निमूचणा काण्ड', 14 मई, 1925 को राजस्थान की अलवर रियासत के नीमूचणा गाँव में घटित हुआ जिसने जलियाँवाला बाग को भी पीछे छोड़ दिया।

हमारे देश में जब ग्राम्य प्रजातंत्र का विकेन्द्रित स्वरूप राज्यों में केन्द्रीकृत होने लगा तो सामन्तवाद का उदय हुआ। इसके आगाज का निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता, किन्तु मौर्यकाल से इसका आरम्भ माना जा सकता है। 'सामन्त' राज्य के शक्ति–सम्पन्न लोग थे, जो राजा और प्रजा के बीच की एक कड़ी होते थे। इन सामन्तों के राजा व प्रजा से संबंधों को ही 'भारतीय–सामन्तवाद' माना जाता है। राजस्थान में सामन्त–प्रथा का जन्म राजपूत–राज्यों की स्थापना के साथ हुआ और यही सामन्त–प्रथा किसानों के शोषण का कारण बनी।

देश की अन्य रियासतों की तरह अलवर रियासत के जागीर क्षेत्र में भी सामन्तों का निरकुंश शासन था। सामन्तों द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किये जाते थे। किसानों की यह दयनीय दशा तीन कारणों से थी– (1) लगान वसूली बहुधा जिन्स (अनाज) के रूप में होती थी तथा जागीरदार को लगान बढ़ाने का पूर्ण अधिकार था। (2) लागतों और बेगारों के कारण जागीदारों द्वारा अपने आसामियों का दोहन। (लाग–बाग–जागीर क्षेत्र में होने वाली आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से यहां की जनता से अनेक प्रकार की वसूली की जाती थी। यह एक अस्थायी एवं अनिश्चित कर होता था, जो अपनी प्रजा पर कुछ विशेष परिस्थितियों यथा युद्ध के समय या युद्ध की समाप्ति पर पुनर्निर्माण के लिए या ठिकाने के वित्तीय संकट के समय में लगाया जाता था अथवा स्वयं प्रजा राज्य की आवश्यकताओं को समझकर देना स्वीकार करती थी।)[1] (3) शासकों द्वारा जागीर क्षेत्र के मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप प्रायः विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में ही किया जाता था। अतः जागीर क्षेत्र में लोगों का असंतोष अपने सामन्तों के विरूद्ध था। 20वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों में किसानों का यह शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। ऐसी परिस्थितियों में किसानों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ना स्वाभाविक था। अतः सर्वप्रथम राजपूताना के मेवाड़ के बिजौलिया ठिकाने में कृषक–आंदोलन हुआ। इसके बाद धीरे–धीरे अन्य जागीरों में भी कृषक–जागृति का सूत्रपात होने लगा और जागृति की यह आग फैलती ही गई। कालान्तर में इस फैलती हुई आग ने एक प्रचण्ड किसान–आंदोलन का रूप धारण कर लिया। किसानों ने पहले अपने जागीरदार और फिर शासकों से न्यायोचित सहायता की मांग की, लेकिन जब इन दोंनों ही स्थानों से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली तो उन्हें अपने ऊपर ही निर्भर रहना पड़ा। वे आंदोलित हुए और उन्हें अपने आंदोलन कोबल प्रदान करने के लिए बाह्य सहायता तथा जातीय एकता का सहारा लेना पड़ा।

अलवर रियासत में प्रथम नियमित बंदोबस्त सन् 1876 में किया गया, जिसमें लगान को 6 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। द्वितीय बंदोबस्त सन् 1900 में सम्पन्न हुआ जिसमें आय वसूली की दर 1/2 व 2/5 रखी गई। अधिक उपजाऊ या मौके की जमीनों की आधी पैदावार लगान के रूप में ली जाने लगी। वहीं कुछ विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणियों के आसामियों यथा राजपूतों के कुछ परिवारों, ब्राह्मणों, कानूनगो व किलेदार आदि को वसूली में 1/4 की छूट प्रदान की गई या उनसे वसूली की दर उपज के 1/4 के बराबर ही रखी गई। बानसूर में भी यही दरें प्रभावित की गईं लेकिन थानागाजी में आम कृषकों से और राजपूतों, कानूनगों और किलेदारों से 1/4 या 1/3 भाग ही उपज

का लगान के रूप में तय किया गया।[2]

भू–राजस्व की दरों में तीसरा संशोधन सन् 1923–24 में किया गया। इस बार भू–राजस्व की दरों को पुनः बढ़ा दिया गया और राजपूतों को कोई रियायत नहीं दी गई। बानसूर व थानागाजी निजामतों में भूमि की पैमाइश कर लगान की नई बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई। यह स्वाभाविक रूप से राजपूत कृषकों को उचित नहीं लगा, क्योंकि अब तक वे लगान में छूट प्राप्त करते आये थे। अतः बानसूर व थानागाजी के राजावत व शेखावत राजपूत कृषकों ने यह निर्णय किया कि वे लगान बढ़ी हुई दर पर न देकर पुरानी दरों पर ही देंगे। इसके लिए अक्टूबर 1924 में एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व माधोसिंह व गोविन्द सिंह नामक राजपूतों ने किया। कई स्थानों पर सभाएं की गईं और प्रस्ताव पारित किये गये। इनमें सर्वसम्मति से नई दरों पर लगान न देने और अलवर सरकार को पुरानी दरों पर ही लगान वसूली के लिए बाध्य करने के संकल्प व्यक्त किये गये।[3] अलवर में भी एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें अन्य राजपूत स्त्रोतों से भी सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। अलवर के करीब–करीब 200 राजपूतों ने दिल्ली में 'क्षत्रिय–महासभा' के सत्र में भाग लिया और सभी को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। उन्होनें 'पुकार' के नाम से एक इश्तिहार भी निकाला और इसे सभा के सदस्यों के बीच वितरित किया।[4]

इसके बाद राजपूतों ने और भी कई सभाओं का आयोजन किया, जिनमें आस–पास के गाँवों यथा बानसूर व थानागाजी व रियासतों यथा जयपुर के राजपूतों व अग्रणी ठाकुरों ने भाग लिया। इनमें आयोजकों ने अपनी परेशानियों को आगुन्तकों के समक्ष विस्तार से रखा। माधोसिंह ने 22 परेशानियों की एक सूची भी तैयार की।[5] इन सभाओं में उनकी परेशानियों को अलवर सरकार द्वारा दूर न किए जाने पर मालगुजारी न चुकाने व इन समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखने के भी निर्णय लिए गये।[6]यह आंदोलन दिन पर दिन आगे बढ़ता गया। सभाएँ आयोजित की जाती रहीं और चन्दा वसूली की जाती रहीं। चन्दा न देने वालों का जाति से बहिष्कार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सभाओं में भाग लेने वाले सभी लोग भली प्रकार शस्त्रों से सुसज्जित होकर आऐं। धीरे–धीरे आयोजकों का रूख कठोर होता गया। एक संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया और सरकार को बढ़ा हुआ लगान न चुकाने व उसके नियमों व उप–नियमों की अवज्ञा करने के भी निर्णय लिये गये। खेड़ा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भली प्रकार शस्त्रों से सुसज्जित करीब 200 ठाकुरों ने भाग लिया।[7]राजपूत कृषकों ने लगान देना बंद कर दिया। इस पर सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी उपज को खलिहानों में सीज कर दिया गया। लेकिन किसान इसे बिना सरकार का हिस्सा दिए ताकत के बलबूते पर घर ले गये। ठाकुरों और राजपूत कृषकों ने सरकार का सामना करने हेतु तलवारों, बंदूकों व आग्नेय हथियारों का संग्रह भी प्रारम्भ कर दिया।

नीमूचणा काण्डः–उपर्युक्तानुसार बिगड़ते हुए हालात में अलवर के प्रधानमंत्री ने 6 मई 1925 को एक आदेश जारी कर अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी को भी बानसूर, नारायणपुर, थानागाजी, राजगढ़, मालाखेड़ा व बहरोड़ पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में तलवारें, भाले, आग्नेय–अस्त्र व अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र लेकर चलने पर एक माह के लिए रोक लगा दी।[8] जब स्थिति और बिगड़ी तो अलवर के महाराजा ने स्थान पर जांच करने हेतु एक कमीशन को भेजा, जिसमें शिक्षा विभाग के महानिरीक्षक रामभद्र ओझा को अध्यक्ष व बानसूर के पुलिस महा–अधीक्षक व तहसीलदार को सदस्य मनोनीत किया गया। यह कमीशन 7 मई 1925 को नीमूचणा पहुँचा, जहाँ राजपूतों की एक विशाल सभा हो रही थी। कमीशन ने राजपूतों से बातचीत की। उनकी समस्याएँ सुनी और प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया, लेकिन सरकार ने राजपूतों को किसी प्रकार की राहत देने के बजाए उनके आंदोलन को सख्ती से दबा देने का निर्णय लिया।[9] इस पर राजपूतों ने माँ दुर्गा के नाम पर आस–पास के सभी ठाकुरों व राजपूतों को पत्र भेजकर नीमूचणा में

एकत्र होने का आह्वान किया। करीब 600 से 800 के बीच ठाकुर शस्त्रों से भली प्रकार सुसज्जित होकर नीमूचणा पहुँचे और सेना का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने किसी भी न्यायालय, थाने या तहसील मुख्यालय में उपस्थित न होने का भी निर्णय लिया।[10]

दिनांक 31 मई 1925 को सेना की एक टुकड़ी नीमूचणा (तहसील बानसूर) पहुँची और सारे गाँव को घेर लिया। सभी कुओं को अपने कब्जे में ले लिया। 14 मई 1925 को सेना की इस टुकड़ी ने कमाण्डर छाजूसिंह के आदेश पर मशीनगनों से गोलियां चलाई। सारा गाँव धू–धू कर जल उठा। परिणामस्वरूप 144 घर जल गये। करीब–करीब 50 व्यक्ति और 60 मवेशी मारे गये। 100 के करीब व्यक्ति घायल हो गये और हजारों की सम्पत्ति जल कर राख हो गई। घटनास्थल पर एक हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया।[11]

इस काण्ड की चारों और भर्त्सना की गई। महात्मा गांधी ने इसे जनरल डायर (जलियाँवाला–बाग काण्ड) के कारनामों से भी दुगुना करार दिया।[12] ''राजस्थान सेवा संघ, अजमेर'' व ब्रिटिश भारत के कुछ राजनेताओं ने अलवर महाराजा के इस निर्णय की कटु आलोचना की। दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'रियासत' के सम्पादक ने इसकी तुलना 'जलियाँवाला–बाग' नरसंहार से की।[13] दैनिक 'प्रताप' के प्रतिनिधि को नीमूचणा में प्रवेश की भी इजाजत नहीं दी गई। 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 3 जून 1925 को अलवर जेल के अधीक्षक पं. हरबक्ष को विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले सुनने हेतु उन्हें सत्र न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई।[14] महाराजा (जयसिंह) ने इस घटना की सम्पूर्ण जाँच हेतु जनरल छाजू सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन की भी नियुक्ति की, जिसमें सिविल न्यायाधीश लाला रामचरण व नाहरपुर के ठाकुर सुल्तान सिंह को नियुक्त किया गया।

नियुक्त विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई एक माह में पूर्ण कर गिरफ्तार 39 व्यक्तियों में से 9 को पर्याप्त सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया व शेष 30 को दिनांक 8 जुलाई 1925 को भिन्न–भिन्न अवधि की जेल की सजा सुनाई।[15] जिन लोगों को व्यक्तिगत नुकसान हुआ था, उनको अलवर सरकार ने 128 रू. की सहायता प्रदान की। सम्पत्ति के नुकसान हेतु 63 व्यक्तियों को 11,000 रूपये का नकद भुगतान किया गया। अगस्त 1925 को इस काण्ड के 13 अभियुक्तों को भविष्य में किसी राजनैतिक आंदोलन या राजद्रोह, दंगे आदि में भाग न लेने के लिये लिखकर देने पर महाराजा के आदेशों के अर्न्तगत छोड़ दिया गया। शेष में से 13 को दिनांक 25 सितम्बर 1925 व 4 को दिनांक 3 जनवरी 1926 को छोड़ दिया गया। 18 नवम्बर 1925 को महाराजा जयसिंह स्वयं नीमूचणा गए और लिखित में नये भूमि–बंदोबस्त की अवधि तक पुरानी दरों पर ही भू–राजस्व की वसूली हेतु आदेश जारी किए।[16] इस प्रकार सभी मांगे मान लिए जाने पर यह राजपूत कृषक आंदोलन समाप्त हो गया।

कुछ लेखकों ने उपर्युक्त काण्ड की कुछ भिन्न तस्वीर भी पेश की है, जिसमें गोली चलाने से पूर्व किसानों को समझानें–बुझानें हेतु पर्याप्त समय देने की बात कही गई है व मृतकों व घायलों की संख्या मात्र 3–3 ही बताई गई है।[17] लेकिन देश में जिस प्रकार इस काण्ड की गूंज हुई और जिस प्रकार इसकी आलोचना व भर्त्सना की गई, उसे देखते हुए यह अविश्वसनीय लगता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि यह गोली काण्ड हुआ, कृषक मारे गए, घायल भी हुए और राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में इसकी भरसक आलोचना की गई। यह काण्ड यह भी सिद्ध करता है कि राजस्थान के राजपूत एक बार ज़िद पर आने के बाद किस प्रकार अपनी जान की बाजी लगा देते है।

***व्याख्याता (इतिहास)**
एस.एस.जैन सुबोध कामर्स एण्ड आर्ट्स कॉलेज,
जयपुर।

AIJRA Vol.I Issue I www. ijcms2015.co ISSN 2455-5967

संदर्भ

1. गहलोत जगदीश सिंह, राजस्थान का सामाजिक जीवन, पृ0 103.
2. फाइल रिपोर्ट ऑन दि अलवर स्टेट सैटलमेंट (1900–1901 A.D.) बॉय एम.एफ.ओ.डॉयर, पेज 152.
3. अलवर ज्यूडिशियल रिपोर्ट, फाइल नम्बर 315–जे/23 ऑफ 1925, RSADO, (राजस्थान स्टेट आर्काइव्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस), अलवर।
4. अलवर जागीर रिकार्ड, फाइल नं0 741 एफ./23 ऑफ 1925, RSADO,vyojA
5. अलवर जागीर रिकार्ड, फाइल नं0 315 जे./23 ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
6. कॉन्फिडेंशल लेटर डेटेड 31 अगस्त, 1925, फ्रॉम ज्युडिशियल मेम्बर टू एच.एच. अलवर एण्ड दि स्टेटमेन्ट्स ऑफ नीमूचणा प्रिजनर्स, अलवर ज्यूडिशियल रिकॉर्ड, फाइल नं0 315–जे./23 ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
7. दि स्टेटमेंन्ट ऑफ ठाकुर गंगासिंह ऑन 1 जनवरी, 1926, अलवर, ज्यूडिशियल रिकॉर्ड, फाइल नं0 315–जे./23 ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
8. लैटर नं0 सी. 70, पी. डेटेड 6 मई, 1925, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ज्युडिशियल मिनिस्टर, अलवर, अलवर ज्युडिशियल रिकार्ड, फाइल नं0 315 जे./23 ऑफ, 1925, RSADO, अलवर।
9. तरूण राजस्थान, सण्डे, 31 मई, 1925, आर्डर बॉय प्राइम मिनिस्टर श्री गिरधारी लाल, डेटेड 11 मई, 1925, कॉन्फिडेन्शल लेटर नं0 1630 एफ. डेटेड 11 मई, 1925, फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर टू आई.जी.पी. अलवर, अलवर, ज्युडिशियल रिकॉर्ड, फाइल नं0 315–जे./23 ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
10. दि स्टेटमेन्ट ऑफ माधोसिंह चीफ लीडर ऑफ दि एजीटेशन, डेटेड 1 जनवरी, 1926, अलवर ज्युडिशियल रिकार्ड, फाइल नं0 315–जे./23, ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
11. तरूण राजस्थान, डेटेड 31 मई, 1925, 14 जून, 1926, एवं 24 दिसम्बर 1925, अभ्यंकर जी. आर, प्रॉब्ल्म ऑफ इण्डियन स्ट्रेटस, पूना, 1928, पृ0 404.
12. दि यंग राजस्थान, फरवरी, 24, 1929
13. रियासत देहली, जनवरी 14, 1928
14. लैटर नं0 964, जे डेटेड 10 जून, 1925, फ्रॉम ज्युडिशियल मेम्बर टू.प. हरबक्ष, अलवर ज्युडिशियल रिकार्ड, फाइल नं0 315 जे./23 ऑफ, 1925 RSADO, अलवर।
15. लैटर डेटेड 8 जुलाई, 1925 फ्रॉम स्पेशल जज, अलवर, टू ज्युडिशियल मिनिस्टर, अलवर ज्युडिशियल रिकार्ड, फाइल नं0 315 जे./23 ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
16. एच.एच. आर्डर डेटेड 18 नवम्बर 1925, अलवर ज्युडिशियल रिकार्ड, फाइल नं0 315–जे./23 ऑफ 1925, RSADO, अलवर।
17. दि कम्यूनीक वॉज पब्लिशड इन दिटाइम्स ऑफ इण्डिया', जून 12, 1925.

राजस्थान का जलियाँवाला – ''नीमूचणा काण्ड'' (कृषक आंदोलन)
'डॉ. सुप्रिया चौधरी